अपील /32/2022 न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

1—भगवानसिंह पुत्र तुलाराम
2—ओमप्रकाश पुत्र भगवानसिंह
3—रमनलाल पुत्र भगवानसिंह
4—रमेश पुत्र भगवान सिंह
5—सुरेश पुत्र भगवानसिंह
6—महेश पुत्र भगवानसिंह
7—नरेश पुत्र भगवानसिंह

जातियान जाट निवासीयान जाटोली रथमान तहसील व जिला भरतपुर राज0

.....अपीलान्ट

वनाम

1—हरीसिंह पुत्र गिलहरी
2—श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नि हरीसिंह

अकवाम जाटव निवासी जाटोली रथमान तहसील व जिला भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्ध तहसीलदार भरतपुर आदेश दिनांक 27—06—2022 प्रकरण संख्या 01/2022 उनवान हरीसिंह वनाम भगवानसिंह ।

**उपस्थित :—**
1—श्री विजयसिंह कुन्तल, अभिभाषक अपीलान्ट,
2—श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक रेस्पो.

**निर्णय** दिनांक 31.7.2024

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 व खिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 27.6.2022 के पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार भरतपुर ने प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 804/948 रकबा 0.13 है0 बाके ग्रांम कारौठ तहसील भरतपुर बेदखल किये जाने की आज्ञा पारित की गई है। तहसीलदार भरतपुर के उक्त आदेश के खिलाफ अपीलान्टान ने यह अपील पेश की गई है।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण की तलबी की गई। तहसीलदार भरतपुर से तहत पत्रावली तलब की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आराजी को लेकर अपीलान्टान ने सिविल न्यायालय में हुक्म इम्तनाई दवामी अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया था, जिसमें दोनों पक्षों की सुनवाई कर रेस्पो0 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री दिनांक 17.10.2008 को पारित कर दी गयी जो आज तक अन्तिम है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि सिविल न्यायालय की डिक्री के अस्तित्व में रहते अपीलान्टान को बेदखल नही किया जा सकता परन्तु तहसीलदार भरतपुर ने इन तथ्यों पर गौर किये वगे. अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि विवादित आराजी पर आंबटन दिनांक से कभी भी रेस्पो0 को कब्जा नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में आंबटन स्वतः ही निरस्त हो जाता है। बिना कब्जे के आंबटन के आधार पर कोई भी अधिकार आंबटी को प्रदान नहीं ही होते हैं। अपीलान्टान को बेदखल नहीं किया जा सकता है। तहत न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अपीलान्टान के रिकार्ड से साबित व सिविल कोर्ट की डिक्री के हो जाने के बाद 14 वर्ष अपीलान्टान के शान्ति पूर्वक कब्जे की अवधि को निकल जाने के बाद यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो कि अवधि पार होने से काबिल खारिज योग्य रहता है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट के गैंत वाडे पुख्ता बने हुये है, उक्त विवादित आराजी पर अनुसुचित जाति मे व्यक्तियों की खातेदारी नहीं मानी जासकती। तहत न्यायालय ने नियमों के खिलाफ जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने तर्कों में जाहिर किया तहसीलदार भरतपुर ने विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। रेस्पो0 अनुसुचित जाति के गरीब सदस्य हैं, रेस्पो0 को आबंटित भूमि पर अपीलान्ट ने नाजायज कब्जा कर रखा था। तहसीलदार ने आर.टी.एक्ट की धारा 183बी के तहत कार्यवाही करते हुये अपीलान्ट बेदखल किये जाने के विधिवत आदेश पारित किया है। रेस्पो. के हक में हुआ आबंटन आदेश किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नही किया गया है यानि आबंटन आज भी वैध है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि माननीय सिविल न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.10.2008 के पेज संख्या 9 पैरा 16 में विवेचन किया जिसमें वादीगण/अपीलान्टान का

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

कब्जा विधि की दृष्टि से अतिक्रमण स्वरुप माना है, इस प्रकार अपीलान्टान द्वारा विवादित आराजी पर कब्जा अतिक्रमण के सिवाय कुछ नहीं है। माननीय सिविल न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना विधिक प्रकिया अपनाये बेदखल नहीं करें पाबन्द किया गया था। तहसीलदार भरतपुर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी के तहत विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये बेदखल किया गया है जिसमें तहसीलदार ने कोई गलती नहीं की है। तहसीलदार भरतपुर ने विस्तृत आदेश पारित किया है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकार के कथनों पर गौर किया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.6.2022 का अवलोकन किया। तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 804/948 रकवा 0.13 हे0 ग्रांम कारौठ को दिनांक 22.6.2002 को आंबटन किया गया था। जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में हो रहे इन्द्राज से स्पष्ट है। अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिये जाने से तहसीलदार ने विधिवत कार्यवाही करते हुये बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है। अपीलान्ट का यह कहना कि सिविल न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई थी। ऐसी स्थिति में तहसीलदार को बेदखली कार्यवाही नहीं करनी चाहिये थी। माननीय सिविलय न्यायालय ने ने अपने निर्णय दिनांक 17.10.2008 के पेज नम्बर 4 मद नम्बर 9 में अंकित किया है कि –

> ".....इस विवाधक बिन्दु के संबध में वादीगण का यह प्रमाणित करना है कि वाद पत्र के पैरा नम्बर 2 में वर्णित हदूदअर्वा का गैत वादी के अधिपत्य का है और उस पर स्थाई एवं स्थापित तोर पर उनका कब्जा है। विवाधक बिन्दु संख्या 1 में स्वामित्व का भी बिन्दु विरचित किा है। किन्तु मेरे विनम्र मत में चूंकि वादी ने न्यायालय से व्यादेश की याचना की है। इसलिये स्वामित्व के न्यायालय का निष्कर्ष अपेक्षित नहीं है। अतः स्वामित्व के बिन्दु तक विवाधक बिन्दु संख्या–1 निरस्त किया जाता है और केवल वादीगण का विवादित गैत पर स्थाई व स्थापित आधिपत्य के बाबत् ही न्यायालय का निष्कर्ष अपेक्षित होने से विचार किया जा रहा है..... ।"

यानि माननीय सिविल न्यायालय ने विवादित आराजी के स्वामित्व को तैय नहीं किया है।

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

इसी प्रकार माननीय सिविल न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.10.2008 के पृष्ठ संख्या 9 की पैरा 16 में आदेश पारित किया है कि –

"....आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त सम्पति से वादीगण को बिना विधिक प्रकिया अपनाये बेदखल नहीं करे, पाबन्द रहे और जब तक कि वादीगण को विधि के अनुसरण में वादगस्त सम्पति से बेदखल नहीं कर दिया जाता तब तक उनके उपभोग में बाधा व व्यवधान उत्पन्न नहीं करें.....।"

इस प्रकार तहसीलदार भरतपुर ने विधि के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये अपीलान्टान अतिक्रमीयों को विवादित आराजी से बेदखल किये जाने के आदेश दिये हैं। अपीलान्ट की ओर से हमारे समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया गया कि विवादित आराजी के आंबटन को किसी सक्षम न्यायालय ने निरस्त कर दिया गया हो।

तहसीलदार भरतपुर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। तहसीलदार का अपीलाधीन आदेश में माननीय सिविल न्यायालय के आदेश का भी विवेचन करते हुये तार्किक विस्तृत आदेश पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं। अस्तु अपील काबिल खारिज के रहती है।

**अतः आदेश है कि :–**

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।
निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली तहसीलदार भरतपुर लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 31–07–2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर